Deg II
Sub.

शेरशाह का भूमि-प्रबंध

शेरशाह के शासक बनने के पूर्व भूमि-प्रबंध अव्यवस्थित था। भूमि की पैमाइश तथा वर्गीकरण के बारे में निश्चित नियम का अभाव था। लगान की दर भी निश्चित नहीं थी। डॉ० एस० आर० शर्मा के अनुसार "प्रत्येक परगने में एक कानूनगो होता था, जिससे परगने की पूर्व, वर्तमान और भावी स्थिति का परिचय मिल जाता था," मुस्लिम सम्राटों एवं हिन्दू मुखियाओं के शोषण से किसानों की स्थिति शोचनीय थी। शेरशाह ने इन दोषों को दूर करते हुए भूमि प्रबंध को प्रजा हितैषी, कुशल एवं सुदृढ़ बनाया।

भूमि-प्रबंध की विशेषताएँ -

(i) शेरशाह ने अपने साम्राज्य में प्रत्येक किसान की कृषि योग्य भूमि की पैमाइश करवा कर उसका रिकॉर्ड रखा। भूमि की पैमाइश करनेवाले को पर्याप्त वेतन दिया जाता था, ताकि वे किसानों का शोषण न कर ईमानदारी से कार्य करें।

(ii) शेरशाह ने भूमि को तीन श्रेणियों - उत्तम, मध्यम तथा हीन में विभाजित किया था। डॉ० पी० सरन के अनुसार "भूमि कर उपज का 1/3 भाग तथा डॉ० कानूनगो के अनुसार 1/4 भाग लिया जाता था। इसके अतिरिक्त कृषकों से जरीबाना (पैमाइश करने वालों की फीस) तथा मुहासलाना (कर इकट्ठा करने वालों का फीस) के रूप में भूमि कर का 2½ से 5 प्रतिशत तक लिया जाता था।

(iii) भूमि कर नकद तथा अनाज दोनों रूपों में चुकाया जा सकता था।

P.T.O -

Scanned with CamScanner

(iv) किसानों की सुविधा हेतु दो सरकारी पत्र तैयार किये जाते थे - पट्टा एवं कबूलियत। पट्टे पर किसान के भूमि का माप, खेतों की स्थिति एवं भूमि कर का वर्णन होता था। यह पत्र किसानों को दे दिया जाता था तथा उनसे कबूलियत नामक पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए जाते थे।

(v) शेरशाह ने भूमि कर निर्धारण की बटाई या गल्ला बख्शी, कनकूत तथा जब्ती प्रणाली को अपनाया। बटाई प्रणाली में कुल उपज को चौधरी एवं सरकारी कर्मचारियों के समक्ष तीन भागों में विभक्त किया जाता था। कनकूत प्रणाली में फसल की कटाई से पहले अनुमान द्वारा कर निश्चित कर दिया जाता था और कटाई के बाद ले लिया जाता था। जब्ती प्रणाली (ठेका व्यवस्था) में किसान सरकार को प्रति बीघा की दर से वर्षों के लिए कर देता था।

(vi) शेरशाह ने किसानों की भलाई के लिए कुछ नियम भी बनाये। उसने राजस्व कर्मचारियों को किसानों के साथ अच्छा व्यवहार करने तथा उन पर अधिक कर न लगाने का आदेश दिया किन्तु साथ-ही साथ कर वसूली में नरमी न दिखाने की भी आज्ञा दी। सैनिकों को अभियान के दौरान फसलों को नुकसान न पहुँचाने का आदेश दिया। प्राकृतिक विपदा से फसलों को हानि पहुँचने पर इनको सहायता दी जाती थी।

[signature]

Scanned with CamScanner